

2021/1571 ✓

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रशासन गौरी के संज्ञ
अभियान - 2021

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डीकोटा की
जमाबन्दी सम्वत् २०७६ से ७९ के खाता संख्या २००
में जयश्री नारायण उपडिवेन की नाम जयश्री
नारायण लाल है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

श्वानी

नांक:- 25/11/21

रिपोर्ट--पटवारी एवं भू.अ.नि.

होदयजी,

निवेदन है कि ग्राम डीकोटा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् २०७६ से ७९ के
खाता संख्या २०० में प्रार्थी का नाम जयश्री नारायण दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
पटवारी व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम जयश्री नारायण है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. जयश्री

11/12/2021

पटवारी डीकोटा
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
रिपोर्ट पटवारी डीकोटा व भू0अ0नि0 डीकोटा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
म डीकोटा की जमाबन्दी सम्वत् २०७६ से ७९ की खाता संख्या २०० में प्रार्थी का
म जयश्री नारायण के बजाय जयश्री नारायण लाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
श्री देवा लाल भिलवाड़ा
श्रीहपुरा (भिलवाड़ा)


1492/21

9070 13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम डीकोटा जमाबन्दी सम्वत् २०७६-७९ खाता

संख्या २०० में दर्ज प्रार्थी का नाम जयश्री नारायण के स्थान पर जयश्री नारायण लाल संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।



प्रभारी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भिलवाड़ा)